भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †254
दिनांक 02.12.2025 को उत्तरार्थ

उत्तर प्रदेश में आरजीएसए के तहत ई-गवर्नेंस

254. श्री देवेश शाक्यः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के जिलों में सामाजिक वर्ग-वार उन ग्राम पंचायतों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत क्षमता निर्माण और गतिविधियां पूरी की हैं;

(ख) राज्य में पंचायत भवनों और डिजिटल उपकरणों जैसे बुनियादी ढांचे के समर्थन के लिए स्वीकृत, वितरित और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरजीएसए के अंतर्गत विकेन्द्रित योजना और ई-गवर्नेंस को अपनाने के संबंध में कोई प्रभाव मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो इसके परिणाम क्या रहे; और

(घ) उत्तर प्रदेश के आकांक्षी और पिछड़े जिलों में आरजीएसए के प्रभावी कार्यान्वयन में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (घ) "स्थानीय सरकार" होने के कारण, पंचायत राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। इस प्रकार, जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की है। हालांकि, मंत्रालय पंचायत शासन में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) के प्रमुख उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। आरजीएसए की योजना के तहत, मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करता है जिसमें बुनियादी प्रबोधन और पुनश्चर्या प्रशिक्षण, विषयगत प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण, ई-गवर्नेंस प्रशिक्षण आदि शामिल है। सीबी एंड टी सहित आरजीएसए के घटकों को उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके मौजूदा संस्थागत तंत्र के माध्यम से लागू किया जाता है। प्रभावी

कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर इन गतिविधियों की योजना, निष्पादन और निगरानी के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जिम्मेदार हैं। हालांकि, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अपडेट के आधार पर प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) के माध्यम से संशोधित आरजीएसए के तहत सामाजिक वर्ग-वार सीबीएंडटी जानकारी प्राप्त की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य में आरजीएसए के तहत सामाजिक वर्ग-वार प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

राज्य के अधिकारियों के साथ बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी की जाती है। आरजीएसए की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) एक राज्य की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को मंजूरी देते हुए, कार्यान्वयन की प्रगति और धनराशि के उपयोग पर विचार करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित रूप से धनराशि जारी करने के विनियमन के लिए वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए याद दिलाया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) एक मांग आधारित स्कीम है और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) की कुल राशि के बदले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गई धनराशि जारी की गई है। इस योजना के तहत वार्षिक कार्य योजना (एएपी) की कुल अनुमोदित राशि के तहत धनराशि जारी की जाती है। निधियों का व्यय आरजीएसए के एएपी के अनुमोदित घटक के भीतर राज्य द्वारा ग्राम पंचायत भवन और डिजिटल सक्षमता के लिए कंप्यूटर सहित उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

संशोधित आरजीएसए योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 1273 ग्राम पंचायत भवनों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1046 का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त, संशोधित आरजीएसए के तहत सभी 3,145 अनुमोदित कंप्यूटरों की खरीद की गई है।

संशोधित आरजीएसए के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में जारी और उपयोग की गई वर्ष-वार धनराशि निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ में)

वर्ष	**जारी की गई धनराशि**	**उपयोग की गई धनराशि ***
2022-23	85.05	96.33
2023-24	84.13	158.95
2024-25	38.77	180.84

* धनराशि के उपयोग में पिछले वर्ष/योजना और राज्य हिस्सेदारी का अव्ययित शेष शामिल है

(ग) ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद (आईआरएमए) के माध्यम से संशोधित आरजीएसए का बाह्य मूल्यांकन किया गया है। इस अध्ययन में 16 राज्यों के 60 जिलों में 120 ब्लॉकों में 600 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया गया, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत अधिकारियों, लाइन विभाग के अधिकारियों, प्रशिक्षकों/संकाय और राज्य/जिला आरजीएसए इकाइयों सहित 6,000 से अधिक हितधारक शामिल थे। योजना के मूल्यांकन अध्ययन के तहत शामिल किए गए व्यापक फ्रेमवर्क में पंचायत विकास योजना और ई-शासन की तैयारी भी शामिल है। मूल्यांकन से यह पता चलता है कि योजना की संरचित, बहु-स्तरीय क्षमता-निर्माण, कक्षा/विषयगत मॉड्यूल, एक्सपोज़र विज़िट और डिजिटल लर्निंग के संयोजन से पंचायत संचालन, योजना और कार्यान्वयन (जीपीडीपी सहित), डिजिटल शासन, नागरिक जुड़ाव और वित्तीय प्रबंधन में पीआरआई क्षमताओं में वृद्धि हुई। प्रशिक्षण के बाद के मूल्यांकन में ज्ञान और अभ्यास में मापने योग्य लाभ दर्ज किया जाता हैं, जो अधिक प्रभावी स्थानीय शासन और एसडीजी के स्थानीयकरण में सहायता करते हैं।

****

अनुलग्नक

उत्तर प्रदेश राज्य में आरजीएसए के तहत प्रदान किए गए प्रशिक्षण प्राप्त सामाजिक वर्षवार प्रतिभागियों का विवरण

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	कुल
2020-21	-	-	-	-	71,835
2021-22	-	-	-	-	1,16,042
2022-23	10,431	238	17,315	20,468	48,452
2023-24	33,641	1,498	62,324	46,911	1,44,374
2024-25	18,357	654	36,879	20,412	76,302

(-) वर्ष 2022-23 से आरंभ संशोधित आरजीएसए के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अद्यतन प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) पर अपलोड किया गया सामाजिक वर्षवार डेटा।